न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

नशामुक्ति

नशामुक्ति

नशा एक गंभीर समाजिक बुराई है जिससे न केवल नशा करने वाले व्यक्ति बल्कि उनके साथ–साथ उनके परिवार, समाज व राष्ट्र को भी हानि है। नशा करने वाले व्यक्ति नशे के कारण परिवार को तो परेशान करते ही है साथ ही खूद नशा करने के लिये चोरी तथा अपराधिक घटना को अंजाम देने हेतू मजबूर व बेबस हो जाते है। नशा करने वाले व्यक्ति को नशा करने हेतू नशीली चिजें जिसके वो आदि हो चूके होते है नहीं मिलने पर कई बार अपने आप को भी क्षति पहुंचाते है। कई बार लोग तनाव, चिन्ता समस्याओं से भी छुटकारा पाने की कोशिश में करते है सोचते है कि नशा करने से समस्या का हल हो जायेगा लेकिन ऐसा नहीं है। नशा मात्र कुछ समय के लिये ही नशा करने वाले व्यक्ति को आराम देते है लेकिन कई वर्षों तक के आगे की

जिन्दगी को नरक बना देता है। नशा के आदि होने के बाद व्यक्ति अपना मानसिक एवं शारीरिक संतुलन खो बैठते है जिसके कारण उन्हे व परिवार को आर्थिक क्षति का भी सामना करना होता है समाज भी धीरे–धीरे ऐस व्यक्ति को नकारना प्रारंभ कर देते है।

नशा के प्रकार

धुएं के रूप में – बिड़ी, सिगरेट, गांजा,
मुख के द्वारा – शराब, भांग, अफीम, खैनी, गुटखा, कफ सीरप
नाक के द्वारा – हिरोईन, कोकेन, सुलेशन, व्हाईटनर
इंजेक्शन के द्वारा – हिरोईन, कोकेन

नशा का कारण

अधिकतर लोग नशा संगति के कारण करते है, पहली बार जब लोग प्रारंभ करते है तो हंसी मजाक में लेते है और बाद में धीरे–धीरे आदि होते चले जाते है, और नशे की लत को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। एक कारण यह भी है कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा की कमी होती है वो बाहरी

चिजों का सहारा लेते है, कुछ लोग कहते है कि नशे इसलिये करते है ताकि गम, दुखःदर्द, तनाम को कम किया जा सके, पर ऐसी बात एकदम नहीं है। नशा कमियों को छुपाने का एक तरीका मात्र है। नशा से किसी का भी दूखः दर्द कम नहीं होता बल्कि नशा धीरे–धीरे उस व्यक्ति को समाप्त कर देता है। आज बहुत सारे लोग नशे को फैशन भी मानते है कोई रिश्तेदार घर पर आये तो शराब, सिगरेट खूद ही उनके लिये लाकर देते है जो कही से भी सही नहीं है। आजकल बच्चों में प्लेग्रांउड के जगह मोबाईल में गेम खेलने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है यह भी किसी नशे से कम नहीं है।

नशा को छोड़ा जा सकता है : – नशा को छोड़ने के लिये सबसे पहले अपने आप में आत्मविश्वास लाना होगा क्योकि जब एक व्यक्ति जो नशे का आदि है और वह जेल चला जाता है तो जेल में बिना किसी नशे के महिनों व सालों रह लेते है तो सोचिये जेल के बाहर क्यों नही। जबरदस्ती नशे को नहीं छोड़ाया जा सकता है।

सच्ची घटना नशा छोड़ने की

कंकरबाग पटना के रहने वाले अजय नशे के लिये अपनी मां, पिता तथा छोटे भाई को मारपीट करता था, मोबाईल छीन कर बेच देता था, घर में रखे समान को बेच कर नशा करता था, कई बार तो परिवार के लोग थाना में पुलिस के हवाले करके वापस छोड़ा देते थे लेकिन एक दिन उसके पिता ने तंग आकर जेल भेज दिये। जेल में रहने के दौरान 1 साल बाद मेरी मुलाकात बेउर जेल, पटना में हुई तो उसने मेरे पास आकर बहुत रोने लगा और आग्रह करने लगा कि मैं निकलने के बाद एक अच्छी जिन्दगी जिना चाहता हूं। फिर मैने अजय के मां व पिता से बात किया कि क्या जमानत करवाना है तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन और रहने दिजिये नहीं तो निकलने पर अपने भाई, पिता या मां में से किसी न किसी को जान मार देगा क्योकि जेल जाते वक्त उसने यह धमकी भी दिया था कि निकलने के बाद क्या करेगें सोच लेना। करीब 2 साल बाद अजय जेल से निकला और एक अच्छी जिन्दगी जी रहा है पुरा परिवार खुश है।

बिहार में वर्तमान में शराब बंदी के चलते लोग सुखे नशे के लत की ओर अधिक जा रहे है जो हमारे समाज के लिये बहुत ही खतरनाक है इसके लत के पीछे 8–10 वर्ष के बालक भी चपेट में आ चुके है।

क्या है उत्पाद कानून

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम – 2016 एवं (संशोधन) नियमावली – 2022

इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, संग्रहण, भंडारण, कब्जा, खरीद–बिक्री, आयात, निर्यात, परिवहन अथवा उपभोग नहीं करेगा, अगर ऐसा करता है तो इस अधिनियम के तहत दण्ड का भागी होगें।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

इस वाद में दो तरह से व्यक्ति गिरफ्तार किये जाते है और अधिकतर वाद दो ही धाराओं में दर्ज किया जाता है पहला – पीने में, दूसरा – जब शराब बरामद होता है। पीने वाले के लिये उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत थाना द्वारा केस दर्ज किया जाता है जबकि बरामदगी होने पर धारा 30 लगाया जाता है।

धारा – 37

- धारा 37 के अनुसार कोई व्यक्ति पहली बार गिरफ्तार किया जाता है तो **प्रपत्र VI** में दिये गये ब्यान के अधार पर उसके पहचान पत्र व उसके पहचान को अभिनिश्चय करेगा, चिक्त्सीय जांच करेगा।

- व्यक्ति द्वारा दिये गये ब्यान के अधार पर न्यूनतम 2000 रुपये तथा अधिकतम 5000 रुपये के भुगतान का प्रावधान है। भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के साधारण कारावास का दंडादेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकेगा। दण्डादेश प्रपत्र प्रपत्र **VII** में दिया जायेगा।
- अगर न्यायालय के नोटिस मे आता है कि उक्त व्यक्ति पूर्व में भी धारा 37 के अधीन दोष सिद्ध किया गया है तो पुलिस/उत्पाद अधिकारी के रिपोर्ट के अधार पर अभियुक्त को 1 वर्ष की अवधी के साधारण कारावास का दण्डादेश देगा।

धारा – 30

- जिनके पास देशी शराब (महुआ) या विदेशी शराब पकड़े जाते है उन्हे बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (क) के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाता है।
- प्रथम अपराध के लिये पांच वर्ष के कारावास से कम और एक लाख रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा।
- दूसरी बार अपराध करने के लिये दस वर्ष का कठोर कारावास से

कम तथा पांच लाख रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा।

- इस अधिनियम के तहत दंड जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है जुर्माना जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

जप्त वाहन/मकान के संबंध में प्रावधान धारा 56, 57, 58, 62

- किसी वाहन (कार, ऑटो या बाईक) सवारी, बर्तन पशु के साथ शराब जप्त किया जाता है/पकड़ लिया जाता है तो संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 57 ख के तहत कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी उक्त गाड़ी के स्वामी से **प्रपत्र IV** में आवेदन प्राप्त कर नवीनतम बीमाकृत (इन्श्योरेंस) मुल्य का किसी भी परिस्थिति में 10 प्रतिशत से कम व 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा जमा करने पर गाड़ी मुक्त किया जाता है।
- किसी कारणवश बीमा मुल्य न हो तथा वाहन का मुल्य कम आका गया हो ऐसी स्थिति में जिला परिवहन पदाधिकारी से निर्धारित कराया जायेगा।
- किसी भी दशा में जप्ती तिथी से 15 दिन से अधिक इन्तजार नहीं

करेगा। इस अवधि के दौरान 10 प्रतिशत राशि वाहन स्वामी जमा नहीं करते है तो उक्त वाहन का निलामी का कार्यवाही करेगा।

- वाहन को छोड़े जाने के पश्चात पदाधिकारी द्वारा जब कभी भी गाड़ी को प्रस्तुत करने का आदेश दिया जायेगा वाहन स्वामी उक्त गाड़ी को प्रस्तुत करेगें।
- वाहनों की निलामी संबंधित सभी लंबित या चालू मामलों में कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वाहन को मुक्त करने के लिये वाहन मालिक को एक अवसर देगा। निलामी की कार्यवाही बंदी की जायेगी और वाहन मुक्त किया जा सकेगा।

- घर या कोई भी ऐसा स्थान जहां शराब रखने व बेचने के लिये इस्तेमाल किया जाता है उसे छापेमारी के दौरान ही पूर्ण रूप से सीलबंद कर दिया जायेगा। हर हाल में 24 घंटे के अंदर सील हो जाना है। पुरे भवन को नहीं किया जायेगा मात्र वही स्थान सील होगा जहां शराब रखने व बेचने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा था।

- किसी कारण से ऐसी जगह जहा जहां शराब रखने व बेचने के लिये इस्तेमाल किया जाता है उसे छापेमारी के दौरान ही पूर्ण रूप से सीलबंद नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर से आदेश प्राप्त कर यथासंभव शीघ्रता से अस्थायी संचना को धवस्त करेगा।
- संशोधन अधिनियम 2022 13 क अधिहरण का प्रस्ताव देने में 30 दिनों से अधिक विलंब होने पर पुलिस/उत्पाद के अधिकारी को विलंब का स्पष्टीकरण देना होगा।
- संशोधन अधिनियम 2022 12 (ख) के अनुसार किसी परिसर को सीलबंद किया गया है तो उसे प्रपत्र **V** में अधिनियम की धारा 57ख (2) के अनुसार सिलमुक्त कर सकेगा। लेकिन जहां स्वामी नहीं आता है उस स्थिति में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सीलबंद करने की तिथी से 15 दिनों के इन्तजार करने के बाद परिसर को निलामी की कार्यवाही करेगा। किसी भी परिस्थिति में

15 दिनों से अधिक इन्तजार नहीं करेगा। विशेष न्यायालय से वापसी भी नहीं होगी।

- जुर्माने की राशि किसी भी स्थिति मे 1 लाख से कम न होगी। निलामी के पूर्व परिसर के स्वामी को मौका दिया जायेगा तथा निलामी की कार्यवाही को बंद किया जा सकेगा।

संशोधन अधिनियम 2022 धारा 14 के अनुसार जप्त वस्तुओ का निलामी या नष्टकरण

- इस अधिनियम की धारा 57 और 57 क के अधिन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 दिनों के अंदर नष्ट करेगा।
- 14 (2) के अनुसार पशु, वाहन, बर्तन, अन्य सवारी या परिसर के निलामी से पूर्व सार्वजनिक निलामी के लिये रखा जायेगा तथा सबसे उची बोली लगाने वाले को बेच दिया जायेगा, कुल तीन बोली लगेगा।
- निलामी से पूर्व कलक्टर या पदाधिकारी वाहन/सवारी/परिसर

का मुल्यांकण करायेगा तथा कमसेकम एक स्थानी देशी भाषा के समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित करेगा।

इस अधिनियम की धारा – 14 के अनुसार वाहन चालक हेतू निर्देश

शराब या मादक द्रव्य अगर बिहार राज्य से होकर गुजरता है तो चालक या वाहन प्रभारी राज्य में प्रवेश करने के बाद मार्ग में पड़ने वाले पहले चेक पोस्ट के प्रधिकारी से अनुमति प्राप्त करेगा और राज्य को छोड़ने के पहले अंतिम चेक पोस्ट के अधिकारी के समक्ष नियत समय की जानकारी देगा अगर ऐसा करने में वह विफल रहता है तो समझा जायेगा कि शराब या मादक द्रव्य को बिहार में बेच दिया गया है, उक्त पर कार्यवाई की जायेगी।

गिरफ्तारी के बाद क्या करें

सबसे पहले आप पुलिस अधिकारी/थाना से किस काण्ड में गिरफ्तार

किया गया है एफ0आइ0आर0 की मांग करें। थाना से अगर काण्ड की जानकारी नहीं दिया जाता है तो विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय से मांग करे और न्यायालय को जानकारी दे कि एफ0आई0आर0 की कॉपी नहीं दी गयी है, गिरफ्तार व्यक्ति को निःशुल्क एफ0आई0आर0 की कॉपी दी जायेगी।

थाना – वर्तमान में दो तरह के थाना है – एक उत्पाद थाना वही दूसरा प्रत्येक प्रखंड में एक थाना है जिसके बारे में हमलोग जानते है। दोनो प्रकार के थानों को कार्यवाई करने का अधिकार है।

अवयस्कों अथवा महिलाओं का नियोजन

यदि कोई वयक्ति 18 वर्ष के कम आयु के किसी अवयस्क व्यक्ति अथवा किसी महिला को शराब अथवा मादक द्रव्य को छुपाने, बिक्री करने, रखने, परिवहन करने अथवा वितरण करने के प्रयोजन से रखता है उसे कम से कम 10 वर्ष के कारावास से जिसे बढ़ाकर आजीवन किया जा सकता है जुर्माने से जो 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जा सकेगा।

इस अधिनियम के तहत शराब अथवा मादक द्रव्य को छुपाने, बिक्री करने, रखने, परिवहन करने अथवा वितरण करने के लिये धमकाता है, फुसलाता है, प्रलोभन देता है अथवा बढ़ावा देता है यो चेष्टा करता है तो 8 से 10 वर्षों का कारावास तथा 1 लाख से 10 लाख तक के जुर्माना किया जा सकेगा।

पुलिस अधिकारी पर कार्यवाई कब हो सकेगा

जब कोई पुलिस अधिकारी समुचित अधार के बिना परेशान करने के उदेश्य स शक करने के समुचित अधार के बिना किसी बंद स्थल में प्रवेश करता है, प्रवेश कराता है, तलाशी लेता है, तलाशी कराता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है यानि की अपनी कानुनी शक्तियों के बाहर जाता है तो वह कारावास का भागी होगा। जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी, जुर्माना जो 1 लाख तक या दोनो से दंडित किया जा सकेगा।

चिकित्सीय जांच व श्वांस विश्लेषण की शक्ति

धारा 73 में दिये गये पदाधिकारी में से कोई भी अधिकारी चिकित्सीय जॉच व श्वांस विश्लेषण से गुजरने को कह सकेगा तथा गिरफ्तार व्यक्ति

चिकित्सीय जांचों व श्वांस विश्लेषण जॉचों को करवाने के लिये कर्तव्यबद्ध होगा यदि वह ऐसा नहीं करता है तो धारा 37 के तहत मान लिया जायेगा कि उसने अपराध किया है।

अन्य महत्वपूर्ण धाराएं – विशेष न्यायालय धारा 83, विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया और शक्ति 85, विशेष/अतिरिक्त लोक अभियोजक 88, अपील 89 – 45 दिनों के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में अपिल कर सकेगा।

इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार व जमानत के प्रावधान

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय में प्रस्तुत करना है साथ ही उसे अधिवक्ता से बात करने व परिवार को गिरफ्तारी की सूचना देना अनिवार्य है। जेल जाने के बाद अगर वो अधिवक्ता रखने हेतू सक्षम नहीं है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता जिला न्यायालय में मुहैया कराया जायेगा,

जेल में रहने वाले व्यक्ति को जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर माननीय पटना उच्च न्ययालय व राष्ट्रीय स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय तक में अधिवक्ता मुहैया कराया जायेगा।

जेल जाने के बाद का प्रोसेस

किसी व्यक्ति के जेल जाने के बाद जमानत दाखिल करने के लिये जेल से एक वकालतनामा चाहिए होता है जिसे शक्ति पत्र भी कहा जाता है तथा उसी वकालतनामा के माध्यम से अधिवक्ता जेल में बंद व्यक्ति के वाद की पैरवी करते है, जमानत दाखिल करते है। जमानत दाखिल करने हेतू परिवार के एक सदस्य की जरूरत होती है जो शपथ करते है कि वाद की पूर्ण जानकारी उनको है। गिरफतार किये गये व्यक्ति का पूर्व का क्या इतिहास रहा है, किस तरह पकड़े गये है, क्या पहले भी तो जेल नहीं गये है अथवा किन परिस्थिति में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये है, और तब जमानत दाखिल किया जाता है।

जमानत दाखिल होने के बाद न्यायालय द्वारा अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की जाती है साथ ही अगर पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास उसे भी मांगा जात है और तब जमानत पर आदेश होता है। जमानत होने के बाद प्रायः 10,000/– रुपये के दो जमानतदारों की आवश्यकता होती है। जब न्यायालय के समक्ष दो जमानतदार उपस्थित होते है तब जाकर उन्हे जेल से मुक्त करने हेतू न्यायालय से आदेश जारी किया जाता है और तब जेल में बंद व्यक्ति जेलर के द्वारा जेल से मुक्त कर दिया जाता है और वह व्यक्ति जेल से बाहर आते है। जमानतदार नहीं होने पर व्यक्तिगत बंधपत्र पर न्यायालय द्वारा मुक्त किया जाता है। कभी–कभी कुछ शर्ते भी न्यायालय द्वारा लगायी जाती है जैसे कि – इस तरह के अपराध की पुनरावृति नहीं करेगें, काण्ड के गवाह को नहीं धमकायेगें, ट्रायल के दौरान न्यायालय को सहयोग करेगें आदि।

जिला न्यायालय से जमानत खरिज होने के बाद

जब विशेष न्यायाधीश उत्पाद/जिला न्यायालय से जमानत किसी

कारण से खारिज कर दिया जाता है तब उपरी न्यायालय के रूप में माननीय पटना उच्च न्यायालय में जमानत दाखिल किया जाता है। उपरी न्यायालय में जमानत दाखिल करने के लिये पुनः जेल से वकालतानामा लाना होता है तथा खारिज आदेश व एफ0आई0आर0 का बजाप्ता नकल (सर्टिफाईड कॉपी) लेकर जमानत आवेदन दाखिल किया जाता है यहां पुनः

पैरवीकार के रूप में एक व्यक्ति की जरूरत होती है। उच्च न्यायायलय से जमानत मिलने के बाद आदेश की कॉपी जिलों के विशेष न्यायालय में पहूंचने के बाद बंधपत्र जेल से मंगवाकर न्यायालय में जमा करना होता है तथा न्यायाधीश के समक्ष बेलर को उपस्थित होने पर जेल से मुक्त करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है। मुक्ति आदेश हमेशा शाम को जब न्यायाधीशगण इजलास से निचे आते है तब बंधपत्र का कार्य होता है तब कोर्ट का कर्मचारी मुक्ति आदेश लेकर जेल पहूंचता है और तब वह व्यक्ति जेल से मुक्त हो पाता है।

क्या कहता है एन0डी0पी0एस0 एक्ट

नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 बहुत ही कठोर कानून है इसमें दो तरह की दवायें होती है पहला – निंद लाने वाली प्राकृतिक जैसे अफीम, गांजा भांग। दूसरी – दिमाग पर असर करने वाली

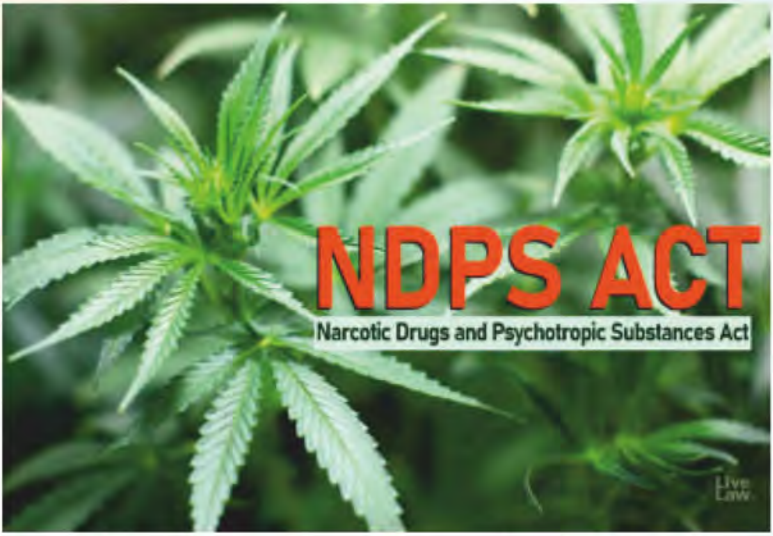

केमिकल बेस्ड जैसे एलएसडी, एमएलडी, अल्प्राजोलम ये केमिकल से बनाये जाते है।

धारा – 15 कहता है कि इसके उत्पादन, कब्जा, आयात–निर्यात, बिक्री, खरीद, गोदाम में रखना या भंडारण करना संबंधी कार्य किया जाता है तो इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध माना जायेगा और अल्प मात्रा रहने पर वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनो से दंडित किया जायेगा। वाणिज्यक मात्रा से कम तथा किन्तु अल्प मात्रा से अधिक रहने पर वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनो से दंडित किया जायेगा।

वाणिज्यिक मात्रा रहने पर कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनो से दंडित किया जायेगा।

धारा – 16 कहता है कि कोका के पौधों की खेती एकत्र उत्पादन, कब्जे, खरीद–बिक्री तथा परिवहन पर पाबंदी है। सजा – 10 साल का कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनो का प्रावधान है।

धारा – 17 कहता है कि अफीम के उत्पादन, कब्जे, खरीद–बिक्री तथा परिवहन, उपयोग पर पाबंदी है।

अल्प मात्रा रहने पर सजा – 1 किलो तक 1 साल का सजा व दस हजार रुपये जुर्माना या दोनो।

वाणिज्यिक मात्रा से कम किन्तु अल्प मात्रा से अधिक रहने पर 50 कि0ग्रा0 से कम है तो 10 साल व 1 लाख रुपये जुर्माना लेकिन व्यापारिक मात्रा होने पर 10 वर्ष से कम नहीं तथा 20 साल की सजा 2 लाख का जुर्माना या दोनो का प्रावधान है।

धारा – 18 कहता है कि अफीम, पोस्ता व उत्पादन, कब्जे,

खरीद–बिक्री तथा परिवहन, उपयोग पर पाबंदी है। सजा – धारा 17 के अनुसार ही है।

धारा – 19 अवैध रूप से अफीम का गबन या उत्पादन करता है तो या किसी भी भाग को समाप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति कठोर कारावास की सजा दी जायेगी। 10 वर्ष से कम नहीं तथा 20 साल तक हो सकेगी व 2 लाख का जुर्माना या दोनो हो सकेगा।

धारा – 20 भांग, गांजा या पौधे की खेती करता है ऐसे व्यक्ति को भी कठोर कारावास की सजा है जो धारा – 17 में दिया गया है।

यह एक ऐसा कानून है जिसमें एक बार पुलिस हिरासत में आ गये

तो जेल से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, इस एक्ट के तहत जिला न्यायालय से प्रायः जमानत मिलता ही नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय से भी बड़ी ही मुश्किल से जमानत हो पाता है। 60 अवैध दवाईयों, पदार्थो, पौधों तथा वस्तुओं को इस श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम का गठन 1985 में किया गया था तथा दिसबंर 2021 में संशोधन किया गया। गांजा, अफीम, डोडा यह प्राकृतिक रूप से ड्रग्स है यह व्यक्ति के सोचने व समझने की क्षमता को ही समाप्त कर देता है। अधिकतर इस्तेमाल होने वाले दवा है अल्प्राजोलम टबलेट।

स्मॉल क्वांटिटी गांजा के साथ पकड़े जाने पर एक साल के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना के तौर पर दस हजार रुपया हो सकता है। कमर्शियल क्वांटिटी से कम यानि की मिडियम क्वांटिटी में गांजा के साथ पकड़े जाने पर दस साल की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। वही कमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़े जाने पर दस साल से अधिक यानि बीस साल

तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है तथा दो लाख रुपये या उससे अधिक जुर्माना भी। भारत में गांजा, अफीम, डोडा का क्रय–बिक्रय और सेवन गैर कानूनी है इस अधिनियम के तहत 1 से 20 वर्ष तक के कठोर सजा का प्रावधान है साथ ही 1 लाख रुपये तक के जुर्माना का भी प्रावधान है।

नशा मुक्ति केन्द्र –

जागरण, पटना – विनय सिन्हा – 9431042444

अनिकेत सेवा, पटना – अनिल कुमार सिन्हा – 9334389337

सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट, पटना – अमर कुमार – 8252112858

टोल फ्री न0 –

आपके मोहल्ले/जानकारी में कोई शराब पीकर हल्ला कर रहा है, बेच रहा है, शराब बना रहा है तो आप इन टोल फ्री न0 पर कॉल कर सकते है –

18003456268, 15545

सवाल आपके जानकारी के लिए

1. यदि मैं इसे केवल एक बार और थोड़ी देर के लिए करूँ तो क्या मुझे इसकी लत लग सकती है?
2. आप शराब पीते हैं. यह उतना खतरनाक नहीं हो सकता, है ना?
3. मारिजुआना के बारे में क्या? यह एक पौधा है, यह प्राकृतिक है?
4. मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति नशीली दवाओं का आदी है?
5. मैं अपने दोस्त की मदद के लिए क्या कर सकता हूं जो नशे का आदी है?
6. विषहरण, या ''डिटॉक्स'' क्या है?
7. प्रत्याहरण क्या है? कब तक यह चलेगा?

न्याय विभाग, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं

- **Website link-**
  https://doj.gov.in/designing-innovative-solutions-for-holistic-access-to-justice-disha/

- **How to use Tele Law-**
  https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387/uploads/2023/07/2023070535.pdf

- **Nyaya Bandhu**
  https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387/uploads/2023/07/2023070542.pdf

- **PAN India Legal Literacy and Ligal Awareness Link-**
  https://doj.gov.in/legal-literacy-legal-awareness/

- **Webinar details-**
  https://doj.gov.in/webinar/

- **YouTube Videos on different issues link (Ministry of Law and Justice)-**
  https://youtube.com/@ministryoflawandjustice2954

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान

वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना

टेली : - 91-612-2452585

फैक्स : - 91- 612-2452586

ईमेल : vidhimitra.bipard@gmail.com

वेबसाईट : www.bipard.bihar.gov.in